छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के पारंपरिक ताप तथा जल विद्युत गृह के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण (ट्रू-अप) एवं वर्ष 2026-27 से 2029-30 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 102/2025 की संक्षेपिका:

1. प्रस्तावना:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित (यथोपरांत उत्पादन कम्पनी) द्वारा दिनांक 01/01/2009 से कार्य निष्पादन प्रारंभ किया गया |

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के पारंपरिक ताप तथा जल विद्युत गृह के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2022 के माद्यम से किया गया था | उपरोक्त के वास्तविकीकरण (ट्रू- अप) की याचिका दिनांक 28.11.2025 को प्रस्तुत की गयी|

प्रभावी अवधि वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 तक के लिए माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद पश्चात् आयोग) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्ते) विनियम, 2025 (यथोपरांत विनियम 2025) दिनांक 11.12.2025 को अधिसूचित किये गए| तदनुसार, वर्ष 2026-27 से 2029-30 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता परिकलित की गयी | तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविकीकरण हेतु विनियम 2021 के आधार पर, प्रस्तुत याचिका में वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 हेतु विनियम 2025 के आधार पर परिकलित वार्षिक राजस्व आवश्यकता को समाविष्ट करते हुए समेकित रूप में याचिका दिनांक 31.12.2025 को प्रस्तुत की गई है| इस याचिका में एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की इनपुट लागत से सम्बंधित प्रस्ताव भी सम्मलित हैं।

2. वर्ष 2024-25 का वास्तविकीकरण (ट्रू अप)

प्रस्तुत याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह हेतु वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण की प्रार्थना सम्मिलित है। साथ ही गारे-पेलमा-III एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की इनपुट लागत का वास्तविकीकरण (ट्रू-अप) भी शामिल किया गया है |

3. वास्तविकीकरण हेतु अपनायी गई प्रक्रिया एवं अवलंबित सिद्धांत

वास्तविकीकरण के लिए छ.रा.वि.नियामक आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनायी गई प्रक्रिया एवं बहुवर्षीय विद्युत दर निर्धारण विनियम 2021 में अवधारित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत लेखा को आधार माना गया है।
- कोयला खदान से प्राप्त कोयले की कीमत के वास्तविकीकरण हेतु प्रमुखतः वर्ष 2023-24 के ट्रू–अप आदेश के अनुरूप याचिका प्रस्तुत की गयी है | इस हेतु मुख्य रूप से टैरिफ विनियम 2021 के अध्याय 5 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है |
- प्रस्तुत याचिका में वर्ष 2024-25 हेतु पूर्ववर्ती आदेश के अनुसरण में अपवादों (हसदेव ताप विद्युत गृह हेतु) के अतिरिक्त, प्रांरभिक पूंजीगत लागत एवं पूंजी संरचना वही मानी गई है जो माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 11/07/2025 में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के वर्षांत पर निर्धारित की गई है। अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूर्ववर्ती आदेश में माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति सामान्यतः अंगीकृत की गई है।
- विनियम 17 एवं 18 के अनुसार पूंजी संरचना एवं विनियम 36 एवं 37 के अन्तर्गत विद्युत दरों के अवयव निर्धारित किये गये हैं। विनियम 23 में पूंजी पर प्रतिलाभ, विनियम 24 में ऋण पर ब्याज (नियामक ऋण सहित), विनियम 25 में मूल्य ह्रास, विनियम 26 में कार्यशील पूंजी पर ब्याज, विनियम 40.5 में संचालन-संधारण व्यय एवं विनियम 45 में परिवर्तनीय लागत (ईंधन की लागत) के संबंध में विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित है। विनियम 41 में विद्युत दरों के अलावा होने वाली आय प्राविधित है। इसके अतिरिक्त पेंशन कोष अंशदान बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुपालन में दिया गया है ।
- याचिका में संचालन मानकों, परफॉर्मेंस मानको में पड़ने वाले प्रभाव, पूर्ववर्ती वर्षो के दायित्व/प्राप्ति समायोजन तथा लाभ/हानि में सहभागिता आदि को समावेशित किया गया है। साथ ही एस एल डी सी के निर्देश पर भार कम किये जाने की स्थिति में स्टेशन ताप दर और सहायक उर्जा खपत के मानको में केंद्रीय निद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव भी विस्तृत तथ्यों सहित प्रस्तुत है|
- प्रस्तुत याचिका में मुख्यतः उपरोक्त प्रावधानों को ही अपनाया गया है साथ ही प्रत्येक मद में माननीय आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रस्तुत याचिका में गणना आधार को भी विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत विस्तार से आलेखित किया गया है।
- याचिका की पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार वास्तविकीकरण (ट्रू-अप) हेतु हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह हेतु दरों के विभिन्न अवयवों यथा अंशपूंजी पर प्रतिलाभ, मूल्यह्रास , ऋण पर ब्याज एवं वित्त पोषण व्यय, संचालन संधारण व्यय, ग्रेच्युटी एवं पेंशन कोष में योगदान, तेल एवं कोयले पर व्यय, कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि की गणना की गई है। संदर्भानुसार विस्तृत प्रार्थना तर्कों एवं तथ्यों सहित सम्मिलित की गई है। पूर्व वर्षो में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति के अनुरूप ही इस याचिका

में आयकर एवं संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप राख के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय को अनुमोदनार्थ सम्मिलित किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविकिकरण के कारण राजस्व कमी / आधिक्य:-

- वर्ष 2024-25 हेतु गारे-पेलमा -III एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की अन्तर्ग्रहीत कीमत रु 1501.58 प्रति टन परिकलित की गयी है|
- विनियमों के अनुसार गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राजस्व प्राप्ति एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता की तुलना करने पर रुपये 146.03 करोड़ की शुद्ध राजस्व कमी अभिकलित की गयी है। स्थापित सिद्धांत के अनुसार उस पर कैरिंग कॉस्ट जोड़ने पर वर्ष 2026-27 में रुपये 171.93 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की 12 समान किश्तों में पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा माननीय आयोग से प्रार्थना प्रस्तुत की गयी है। संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व आधिक्य / कमी का विवरण संलग्नक (अ) में प्रस्तुत है।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण:

- वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 की समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के सिद्धांतों तथा विनियम 2025 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है | टैरिफ विनियम के अनुसार ऊर्जा प्रभार की गणना कोयले की पहुँच लागत के आधार पर की जाती है। अतः समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की वर्ष 2026-27 से 2029-30 हेतु इनपुट मूल्य का निर्धारण भी प्रस्तावित है ।
- याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह को आवश्यक समग्र राजस्व की गणना हेतु सम्मिलित किया गया है |
- कोयला खदान से प्राप्त कोयले की वर्ष 2026-27 से 2029-30 हेतु वार्षिक लक्ष्य मात्रा (ए टी क्यू) ओवर ग्राउंड खदान क्षमता के आधार पर विनियम 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत मानी गयी है | शेष अवयवों की गणना पूर्व वर्षो में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति एवं विनियमों के सिद्धांतो के अनुरूप की गयी है | वर्ष 2026-27 से 2029-30 हेतु गारे-पेलमा -III एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की अन्तर्ग्रहीत कीमत संलग्नक –ब में उल्लेखित है |
- संयंत्रों के संचालन मानदंड विनियम 2025 के प्रावधानों के समान ही रखे गए है |
- पूंजीगत संरचना की गणना, वर्ष 2024-25 की ट्रू-अप गणना एवं वर्ष 2025 -26 में अनुमानित पूंजीकरण को आधार मानकर, 2026-27 से 2029-30 हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीकरण याचिका के आधार पर की गयी है |

- अंशपूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियम 24 के आधार पर की गयी है|
- ताप विद्युत् गृहो के संचालन संधारण व्यय की गणना हेतु विनियम 2025 में अपनाये गए सिद्धांतो के अनुरूप किया गया है | हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह के संचारण – व्यय, वर्ष 2025-26 के आधार पर दिए जाने हेतु विस्तृत तर्क एवं प्रार्थना याचिका में सम्मिलित है |
- हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम हेतु विशेष वार्षिक वृत्ति हेतु विनियम 2025 में प्रावधान किये गए है, तदनुसार समग्र राजस्व के आवश्यकता हेतु गणना की गयी है |
- संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप राख राखड के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय एवं अन्य आय की गणना वर्ष 2024-25 के वास्तविक खर्चो तथा राखड उपयोग के आधार पर वर्ष 2026-27 से 2029-30 में 100% उपयोग के लक्ष्य के आधार पर तथा वार्षिक वृद्धि दर को समायोजित कर अनुमोदनार्थ सम्मिलित किया गया है।
- हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप हेतु मूल्यह्रास की गणना पूर्व वर्षो में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति एवं विनियमों के सिद्धांतो के अनुरूप की गयी है | डी एस पी एम टी पी एस तथा हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह हेतु नए परिसंपत्तियों हेतु मूल्यह्रास की गणना विस्तृत तर्क सहित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर की गए है |
- शेष अवयवों यथा ऋण पर ब्याज, द्वितीयक ईंधन (तेल) की लागत, ग्रेच्युटी एवं पेंशन कोष में योगदान एवं वित्त पोषण व्यय कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि की गणना पूर्व वर्षो में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति एवं विनियमों के सिद्धांतो के अनुरूप की गयी है |
- विनियमों एवं पूर्ववर्ती आदेशों के अनुरूप आयकर / जलकर / स्टार्ट-अप पावर / सांविधिक प्रभार/कर/उपकर/इंधन लागत समायोजन इत्यादि पास-थ्रू प्रभार पृथकतः प्रतिपूर्ति के योग्य होंगे |
- संदर्भानुसार विस्तृत प्रार्थना तर्कों एवं तथ्यों सहित सम्मिलित की गई है।
- संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता का विवरण संलग्नक (ब) में प्रस्तुत है।

******

कृपया पृष्ठ पलटे

संग्लग्नक (अ)

समीक्षाधीन अवधि हेतु अभिकलित सकल राजस्व आवश्यकता एवं अभिकलित राजस्व की कमी का विवरण:-

(करोड़ रु में)

विवरण	ह.ता.वि.गृह	डी.एस.पी.एम टी.पी.एस.	कोरबा पश्चिम	ए.बी.वी. टी.पी.एस, मड़वा	हसदेव बांगो
मूल्यह्रास	61.19	132.23	222.84	522.34	2.62
ब्याज और वित्तीय प्रभार	12.10	0.19	86.75	362.15	0.34
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	66.86	100.88	88.57	154.71	5.85
संचालन संधारण व्यय	303.22	211.00	123.83	286.73	9.76
विशेष वार्षिक वृत्ति	72.66	-	-	-	-
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	28.82	21.39	18.60	49.42	1.15
(- अन्य आय)	28.65	11.95	12.02	23.97	0.04
कुल वार्षिक स्थिर प्रभार	**516.18**	**453.74**	**528.57**	**1351.39**	**19.68**
कोयले की लागत	773.17	614.50	545.31	1377.85	0.00
ईंधन तेल की लागत	34.92	6.54	4.37	6.54	0.00
कुल ऊर्जा प्रभार	**808.09**	**621.04**	**549.68**	**1384.39**	**0.00**
पेंशन/ग्रेच्युटी कोष सहभागिता	162.10	60.14	36.00	98.45	5.13
राख के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय	23.87	25.25	22.71	38.12	0.00
सकल राजस्व आवश्यकता	**1510.24**	**1160.18**	**1136.96**	**2872.35**	**24.81**

विवरण	**FY 2024-25**
संयंत्रवार सकल राजस्व आवश्यकता	6704.54
जल प्रभार/आयकर/स्टार्टअप पावर/पूर्ववर्ती वर्ष की प्रतिपूर्ति / वैधानिक शुल्क / नियंत्रण योग्य कारकों से लाभ हानि	181.79
सकल राजस्व आवश्यकता	6886.33
कुल राजस्व	6740.30
वर्ष के दौरान राजस्व कमी	**146.03**

(करोड़ रु में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**वित्त वर्ष 2026-27**
राजस्व कमी वर्ष के प्रारंभ में	-	152.17	164.98
राजस्व कमी वर्ष के दौरान	146.03	**-**	**-**
राजस्व कमी वर्ष के अंत में	146.03	152.17	-
ब्याज दर	8.42%	8.42%	8.42%
वहन लागत वर्ष के दौरान	6.15	12.81	6.94
कुल राजस्व कमी	**152.17**	**164.98**	**171.93**
कुल राजस्व कमी			**171.93**
वित्त वर्ष 2025-26 में 12 समान किस्तो मे प्रस्तावित मासिक रिकवरी			**14.327**

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु गारे-पेलमा –III एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की इनपुट लागत

- टैरिफ आदेश के अनुसार लागत - Rs 1488.99 / Ton
- वर्तमान याचिका में प्रार्थित लागत - Rs 1501.58 / Ton

संलग्नक (ब)

संयंत्रवार समग्र राजस्व आवश्यकता का विवरण (वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30)

संयंत्रवार स्थिर प्रभार का विवरण *

विवरण	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
एच.टी.पी.एस.	885.61	930.78	992.91	1054.25
डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	550.79	562.58	606.35	645.66
के.डब्लू.टी.पी.पी	648.74	665.20	691.37	714.67
ए.बी.वी.टी.पी.एस.	1565.09	1577.56	1608.51	1637.10

*सरलता की दृष्टि से उपरोक्त स्थिर प्रभार में पेंशन ट्रस्ट योगदान एवं राखड़ के उपयोग सम्बंधित खर्च समाहित है |

संयंत्रवार ईंधन लागत का विवरण (रुपये प्रति इकाई) **

विवरण	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
एच.टी.पी.एस.	1.658	1.658	1.658	1.658
डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	1.851	1.851	1.851	1.851
के.डब्लू.टी.पी.पी	1.401	1.401	1.401	1.401
ए.बी.वी.टी.पी.एस.	2.297	2.321	2.317	2.312

हसदेव-बांगो जल विद्युत् सयंत्र **

विवरण	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
वार्षिक स्थिर प्रभार (रु करोड़ में)	37.91	40.34	43.50	41.40
सकल उत्पादन	270.71	270.71	270.71	270.71
कुल (रु प्रति इकाई)	**1.40**	**1.49**	**1.61**	**1.53**

** **हसदेव-बांगो जल विद्युत् सयंत्र** हेतु एकल –भाग टैरिफ लागु है|

संयंत्रवार शुद्ध विद्‌युत्‌ उत्पादन का विवरण (वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30)

विवरण	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
एच.टी.पी.एस.	5083.15	5097.07	5083.15	5083.15
डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	3387.93	3397.21	3387.93	3387.93
के.डब्लू.टी.पी.पी	3527.54	3537.21	3527.54	3527.54
ए.बी.वी.टी.पी.एस.	7055.09	7074.41	7055.09	7055.09
हसदेव-बांगो जल विद्‌युत्‌ सयंत्र	270.71	270.71	270.71	270.71
Total	**19324.42**	**19376.62**	**19324.42**	**19324.42**

गारे-पेलमा –III एकीकृत कोयला खदान से प्राप्त कोयले की इनपुट लागत

लागत	FY 26-27	FY 27-28	FY 28-29	FY 29-30
रु प्रति टन	1680.52	1729.21	1720.95	1710.34

***